

खाता नं 1697 हस्ताक्षर 137
 ज्योतिष, राजस्व कलेक्टर अलीगढ़

६४०

न्यायालय उप जिलाधिकारी/सहायक ले० प्र० श्रेणी अतरौली-अलीगढ़
 वाद संख्या: 3 अधारा-143 ज० वि० एवं भू० व्य० अधि
 मौजा- नहल परगना व तहसील अतरौली जनपद -अलीगढ़।
 शैलेंद्र सिंह बनाम गाँव सभा ।

नकल - निर्णय दि 25-5-07

प्राथी शैलेंद्र सिंह पुत्र सुरजपाल सिंह, प्रबन्धक जय गिरिज धरण महा-
 विद्यालय, नहल निवासी ग्राम परगना व तहसील अतरौली द्वारा एक प्र० पत्र
 वाकत खाता सं०-144 गाटा सं०-855 मि० रकवा 1.132 है० लगानी 50=50
 पैसा स्थित मौजा नहल में प्राथी का 3/4 भाग व खाता सं०-575 गाटा सं०-
 855 मि० रकवा 1.132 है० लगानी योचित भाग पर स्थित मौजा नहल उपरो-
 क्त का पूर्ण भाग पर मालिक स्वामी का विज व दखील हैं। प्राथी द्वारा उक्त भूमि
 में आवादी दर्ज करने की प्रार्थना की है।

प्राथी का प्र० पत्र दि०-7-3-07 को तहसीलदार, अतरौली को जांच
 के लिए भेजा गया। जिसपर तहसीलदार, अतरौली द्वारा दि०-10-3-2007 को
 लेखाल एवं रा० नि० की आख्या के आधार पर उक्त भूमि को आवादी घोषित
 किए जाने की संस्तुति की है।

पत्रावली के अवलोकन एवं प्राथी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुन
 के पश्चात एवं तहसीलदार, अतरौली की उक्त विश्वसनीय आख्या के आधार पर
 खाता संख्या-144 गाटा सं०-855 मि० रकवा 1.132 है० पर जय गिरिराज
 धरण महा विद्यालय के नाम दर्ज है, जिसमें 0.849 पर खेती नहीं हो रही है।
 उतने ही रकवे पर महा विद्यालय चल रहा है तथा खाता खतौनी सं०-575 गाटा
 सं०-855 रकवा 1.132 है० जय गिरिराज धरण महा विद्यालय का नाम दर्ज है
 जिसके प्रबन्धक शैलेंद्र सिंह पुत्र सुरजपाल सिंह हैं। इन गाटों पर आवादी बनी
 हुई है, आवादी, बागवानी, कृषि, कुटकुट पालन, मछलीपालन आदि नहीं हो रहा
 है। अतः खाता सं०-144 गाटा सं०-855 के रकवा 0.849 है० तथा खाता सं०-
 575 गाटा सं०-855 के रकवा 1.132 है० के संक्रमणीय भूमिधर पर आवादी =
 घोषित की जाती है। तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अमल किया जाय। बाद
 आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दा० द० हो।

सत्य प्रतिलिपि
 07-11-22
 राजस्व अभिलेखागार
 कलेक्टर, अलीगढ़

दिनांक-25-5-2007

॥ लोकेशा सम० ॥
 उप जिलाधिकारी, अतरौली।

नकल नवीस के हस्ताक्षर
 मिलान करने के हस्ताक्षर
 नकल ... की संख्या

नकल सवाल के दिनांक
 नकल बनाने का दिनांक
 नकल जारी करने का दिनांक

